तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22/5/25	पत्रावली पेश हुई। आवे० उभयपक्ष उपस्थित प्रा० पत्र द्वारा 11 पुनः स्वीकार किया जाता है। प्रतिवाद पत्र वादीगण खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर ह० कि० है। पत्रावली मिसल मुताबिक नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। [signature] सहायक कलक्टर [illegible] (... पुर)	

न्यायालय सहायक कलक्टर, उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— सुश्री भारती गुप्ता (आर.ए.एस)
वाद कमांकः—70 / 2015
उनवानः— मोहनसिंह बनाम पूरनसिंह वगै0

प्रार्थना पत्र धारा 11सी.पी.सी.

उपस्थितिः—
1. श्री दुलीचन्द शर्मा एड0 प्रार्थीगण(प्रतिवादीगण)
2. श्री धर्मेन्द्र चौधरी एड0 अप्रार्थीगण (वादीगण)

दिनांकः—22.05.2025

निर्णय

प्रार्थीगण / प्रतिवादीगण ने यह प्रार्थना पत्र जरिये अधिवक्ता धारा 11 सीपीसी के तहत पेश कर निवेदन किया है कि वादी / अप्रार्थीगण द्वारा अपना उपरोक्त उनवानी वाद आराजी ख.नं. 418 रकवा 1 बीघा 19 विस्वा बाके ग्राम नगला तेरहियां खालसा की बावत् वास्ते घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया गया है, परन्तु इस आराजी के सम्बन्ध में हम प्रतिवादी / प्रार्थीगण के बाबा गयालाल व वादी / अप्रार्थीगण के पिता मूलचन्द के मध्य पूर्व में चले नम्बरी राजस्व वाद उनवानी गयालाल बनाम मूलचन्द का सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण होकर पूर्व में ही दिनांक 12.06.1978 को अन्तिम निस्तारण हो चुका है। इस पूर्ववर्ती वाद के निर्णय व डिक्री की अपील न होने पर निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.1978 अन्तिम निस्तारण है। वादी / अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत इस वर्तमान वाद उनवानी मोहनसिंह बनाम पूरन सिंह वगै0 की वादग्रस्त आराजी ख.नं. 418 रकवा 1 वीघा 19 विस्वा वाके ग्राम नगला तेरहिया खालसा की बावत् हम प्रतिवादी / प्रार्थीगण के बावा गयालाल ने एक नम्बरी राजस्व वाद संख्या 1509 / 1976 उनवानी गयालाल बनाम मूलचन्द बावत् घोषणा एवं स्थाई निषेधज्ञा तत्कालीन अधिकारिता वाले सक्षम न्यायालय श्रीमान उपजिलाधीश महोदय बयाना में पेश किया था, जिसमें हम प्रतिवादी / प्रार्थीगण का बाबा गयालाल वादी था और वादीगण / अप्रार्थीगण का पिता मूलचन्द प्रतिवादी था। उक्त वाद विचारण पश्चात दिनांक 12.06.1978 को वादी गयालाल के हक में डिक्री किया गया था, जिसमें वादी गयालाल को इस वादग्रस्त आराजी ख.नं. 418 का खातेदार व काबिज काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी मूलचन्द को जरिये स्थाई निषेधज्ञा पावन्द किया गया था और इस निर्णय व डिक्री की पालना में वादी गयालाल को वादग्रस्त आराजी की बावत् रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज किया गया था। जिसका नामान्तकरण सं0 137 तारीखी 18.11.1978 है। इस पूर्ववर्ती वाद सं0 1509 / 1976 का वादी गयालाल हम प्रतिवादीगण / प्रार्थीगण का बावा था। बावा गयालाल के स्वर्गवास हो जाने पर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

यह वादग्रस्त आराजी उसके पुत्र और हमारे पिता नरेन्द्रसिंह को विरासतन जरिये नामा0 संख्या 180 तारीख 18.09.1991 को मिली थी और हमारे पिता नरेन्द्रसिंह के स्वर्गवास हो जाने पर वादग्रस्त आराजी जरिये विरासत नामा0 सं0 240 दिनां 29.11.2001 हम प्रतिवादीगण/प्रार्थीगण को प्राप्त हुई है। वादी/अप्रार्थीगण इस पूर्ववर्ती निर्णीत वाद सं0 1509/1976 के प्रतिवादी मूलचन्द के पुत्रान है, जिन पर इस वाद का निर्णय व डिक्री दिनांक 12.06.1978 लागू होती है। विचाराधीन वाद पूर्ववर्ती निर्णीत वाद सं0 1509/1976 का पश्चातवर्ती वाद है, जिन दोनों वादों की समान वादग्रस्त आराजी व समान पक्षकार मुकदमा है और जिनके मध्य वादग्रस्त आराजी का पूर्ववर्ती वाद सं0 1509/1976 के जरिये दिनांक 12.06.1978 को सक्षम न्यायालय द्वारा विचारण किया जाकर सम्यक रूप से अन्तिम निर्णय किया जा चुका है इसलिये अब उसी आराजी के सम्बन्ध में और उन्हीं पक्षकारों के मध्य पुनः विचारण किया जाना जा0दी0 की धारा 11 में प्रतिपादित पूर्व न्याय सिद्धांत के अनुसार वर्णित है। दावा वादीगण खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक अप्रार्थीगण/वादीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि पूर्ववर्ती वाद एवं हाल वाद में ना तो पक्षकार समान है और ना ही चाही गई दादरसी समान है और ना ही वाद हेतुक समान है जबकि तनकीयात अभी कायम नहीं की गई है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र अति उतावलेपन में पेश किया गया है क्योंकि जहां प्रश्न धारा 11 रेसज्यूडिकेटा का है वह विधि एवं तथ्य का एक मिश्रित प्रश्न है धारा 11 को निर्णित करने के लिए दावा, जबाव दावा, तनकीयात एवं लिखित साक्ष्य का होना आवश्यक है। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र कानून विरूद्ध होने के कारण खारिज योग्य है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया है कि विवादित आराजी पर पूर्व में ही में प्रतिवादीगण के बाबा गयालाल ने घोषणात्मक दावा वादीगण के पिता मूलचन्द के खिलाफ सहायक कलक्टर बयाना के यहां पेश किया था जिसकी डिक्री गयालाल के पक्ष में की गई थी वादीगण/अप्रार्थीगण के द्वारा पेश वादपत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

अभिभाषक वादीगण/अप्रार्थीगण ने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया है कि उक्त आराजी पर काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व हम वादीगण का कब्जा काश्त है। धारा 11 के तहत वादपत्र को प्राईमरी स्टेज पर खारिज नहीं किया जा सकता। चुंकि रैस ज्यूडिकेटा विधि एवं तथ्य का मिश्रित प्रश्न है उक्त प्रकरण में तनकीयात कायम करने के पश्चात ही प्रार्थना पत्र 11 सीपीसी का निर्धारण किया जा सकता है। प्रतिवादीगण के द्वारा उक्त आराजी के सम्बन्ध में अन्य कोई दावा पूर्व में ही फैसल हो चुका है इसका अंकन अपने जबाव दावे में नहीं किया है ऐसी स्थिति में धारा 11 के सम्बन्ध में तनकीयात भी कायम नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थना पत्र, जबाव प्रार्थना पत्र एवं प्रार्थना पत्र के साथ पेश राजस्व रिकार्ड एवं अन्य रिकार्ड आदि का

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ पेश मुकदमा नम्बर 1509/1976 उनवान गयालाल बनाम मूलचन्द निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.06.1978 का अवलोकन किया गया उक्त पूर्ववर्ती वाद उक्त वाद पत्र में वर्णित वादीगण के पूर्वजों के द्वारा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के विरूद्ध पेश किया गया था ऐसी स्थिति में पूर्ववर्ती वाद वउनवानी गयालाल बनाम मूलचन्द एवं उक्त वाद पत्र में सामना पक्षकार, समान आराजी एवं समान दादरसी होने के कारण एवं उक्त आराजी पर पूर्व में ही निर्णय एवं डिक्री होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है:–

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाता है। वादपत्र वादीगण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 22.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

भारती गुप्ता (आर0ए0एस0)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)